



भाकृअनुप : भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान  
218 कौलागढ रोड, देहरादून 248 195 (उत्तराखंड)  
**ICAR: Indian Institute of Soil & Water Conservation**  
218, Kaulagarh Road, Dehradun 248195 (Uttarakhand)  
Telefax (O) 0135 275 7214, Fax : 0135, 275 4213  
Email: [caoiiswc@gmail.com](mailto:caoiiswc@gmail.com)



## भाकृअनुप -भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून अतिथि गृह में कमरों के आवंटन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. गेस्ट हाउस में कमरों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। हालाँकि, आधिकारिक यात्रा पर आने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. आम तौर पर, शादी और व्यक्तिगत समारोहों के लिए कमरों का आवंटन नहीं किया जाएगा।
3. यदि यह विभागीय/वीआईपी उपयोग के लिए आवश्यक है तो आवंटन को रद्द/स्थानान्तरित माना जा सकता है।
4. चेक-आउट का समय दोपहर 12 बजे है।
5. कमरे का किराया गेस्ट हाउस में रहने वाले अतिथि की स्थिति के अनुसार लागू होगा, न कि कमरा बुक करने वाले की स्थिति के अनुसार। उदाहरण के लिए, यदि कोई आईसीएआर कर्मचारी किसी निजी व्यक्ति के लिए आवास बुक करता है, तो शुल्क "निजी आगंतुक" के लिए लागू होगा, न कि "आईसीएआर शुल्क"।
6. असुविधा से बचने के लिए, आवास आवंटन के लिए अनुरोध 10 दिन पहले ईमेल यानी [guesthouseiiswc@gmail.com](mailto:guesthouseiiswc@gmail.com) पर भेजा जाना चाहिए।
7. आने से पूर्व गेस्ट हाउस से बुकिंग की पुष्टि के लिए किसी भी कार्य दिवस पर दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच टेलीफोन नंबर 0135-2750464 पर पूछताछ की जा सकती है।
8. गेस्ट हाउस में शराब/धूम्रपान सख्त वर्जित है।
9. गेस्ट हाउस में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है।
10. चेक इन के समय सरकारी संगठन द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की प्रति केयरटेकर को जमा करना अनिवार्य है। कमरे में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चेक इन से पहले फोटो पहचान पत्र की प्रति केयरटेकर को जमा करनी चाहिए। पहचान पत्र की प्रति जमा किए बिना गेस्ट हाउस के कमरे में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। गेस्ट हाउस के कमरों में केवल वे ही रह सकेंगे जिनके नाम ईमेल में दिए गए हैं।
11. संस्थान और गेस्ट हाउस में उचित शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए। यदि अतिथि उचित शिष्टाचार नहीं बनाए रखते हैं और/या दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं, तो अतिथि गृह के प्रभारी अधिकारी को अतिथि गृह की आवास सुविधाएँ वापस लेने का अधिकार है।
12. चेक इन और चेक आउट के अलावा किसी भी व्यक्ति या अतिथि को रात 11.30 बजे के बाद अतिथि गृह में प्रवेश करने या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13. अतिथि गृह खाली करने से पहले सभी बिलों का भुगतान कर देना चाहिए। अतिथि कक्षों की संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई अतिथि द्वारा की जाएगी।